

## फर्द अहकाम

गंगादी बनाम उपा वडी

संख्या/वर्ष 97/22 : / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/12/24	<p>पत्रावली देय हुई। वारी अधिवक्ता इफ्टिखर। अधिवक्ता काडी व डक हुकी गई। व डक काडी पर जमाना जमा, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का शिफाला किया गया। पत्रों का विश्लेषण किया गया। वारी का काड बंद करी व ल्याई निवेदाज्ञा का लीकाल भोग्य पात्र पात्र पर लीकाल किया जावही विष्टर निर्णय एअर है लिजा पाकर शपथिल पत्रावली किया जमा। निर्णय हुके - मामाल्य में हुतापा पाकर पत्रावली फेरल शुमार डेकर गडक है कर है, गडिल पात्र है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

कैलसीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

द्वार पत्र संख्या : 97 / 2022

निर्णय दिनांक : 21.02.2024

**उनवान**

1. मंगा देवी पत्नी गोपाल
2. बादान देवी पत्नी नानगराम  
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर।

वादीगण

**बनाम**

1. श्रीमति उषा जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, निवासी 28, प्रहलाद कॉलोनी, हनुमान  
ट्यूबवेल के पीछे, टॉक रोड, सांगानेर, जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण



द्वार पत्र बाबत वेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**निर्णय**

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.5600 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.0900 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.6900 है0 है जिसमें रबी खरीफ की फसल से वो अपना जीवकोपार्जन कर रही है। उक्त खसरा नम्बरों के समीप ही सलग्न नक्शों के अनुसार उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 572 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.4800 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 है0 अवस्थित है जो जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज थी। यह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में प्रतिवादी संख्या 1 उषा जैन के स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम हिरसा पूर्ण अंकित हो चुकी है। उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान भी वादीगण ने दिनांक 21.11.2019 को कराया था तब पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 9 एयर भूमि पर अतिक्रमण वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 572 व 573 के उत्तरी दिशा में कर लिया है। उपरोक्त खसरा नम्बरों की जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम है नक्शा दिनांक 27.12.2021 को पटवारी हल्का से प्राप्त किया एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की प्राप्त की जिससे यह जाहिर रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से कन्वर्ट करवा ली है एवं रूपान्तरण के उपरान्त वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 571 में 9 एयर भूमि पर पुख्ता डन्डा खींचकर अतिक्रमण कर लिया है। जिसके

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सम्बन्ध में वादीगण ने धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत एक विधिक नोटिस आयुक्त सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर जयपुर को दिनांक 18.01.2022 को जारी किया जो दिनांक 19.01.2022 को उनको प्राप्त हो गया, जिसका प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी सूरत में नोटिस अवधि समाप्ति के बाद प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। लिहाजा यह वाद बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा करने व प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे व अतिक्रमण को हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व वादग्रस्त भूमि का लगान नियमानुसार सरकार को अदा करते आ रहे है। वादीगण को वैधानिक अधिकार है कि उसकी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए अतिक्रमियों को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन तथा अधिकृत प्रतिनिधि वादीगण की खातेदारी की भूमि व उसके किसी भू-भाग पर अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण न करे तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि पर उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। इस प्रकार वादीगण ने वाद पत्र के मद नम्बर 1

में वर्णित वादीगण की खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर व बेदखल किया जाकर वादीगण को भूमि का वास्तविक कब्जा सम्भाले जाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुरोध चाहा है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इस आशय का जवाब दावा पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 572 व 573 की हाल जमाबन्दी अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में निजी खातेदारी भूमियों में दर्ज भूमियों पर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी, सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर स्तर पर नहीं जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही व सुनवाई कर भूमि खसरा नम्बर 572 व खसरा नम्बर 573 को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा कन्वर्ट किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। यदि वादीगण की काश्त की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण/कब्जा करने की कार्यवाही की जाती है तो उक्त अतिक्रमणों को हटाने सम्बन्धी कार्यवाही तहसीलदार स्तर से की जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर अधिनियम 1982 एक विशेष विधि है जिसकी धारा 92 अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान अन्य विधियों पर अधिभावी होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 83 (8-ए) के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिवस में सक्षम अधिकरण के समक्ष भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश को बिना चुनौती दिये उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 572 एवं खसरा

नम्बर 573 जमाबन्दी अनुसार पूर्ण हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा शेष तथ्यों को अस्वीकार किया गया। दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये:-

1. आया वादीगण वाद पत्र की मद नम्बर-1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाकर व बेदखल कर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3

4. आया वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3

5. आया वादीगण का उक्त वाद भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश को बिना चुनौती दिये चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3

6. अनुतोष

वादीगण की ओर से वादीगण की साक्ष्य में पी. डब्ल्यू-1 गंगा देवी, पी. डब्ल्यू-2 श्रवण लाल व पी. डब्ल्यू-3 श्रवण कुमार के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श-2 प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 569 का नक्शा, प्रदर्श-3 प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 570 का नक्शा, प्रदर्श-4 प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 571 का नक्शा, प्रदर्श-5 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श-6 प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 572 का नक्शा, प्रदर्श-7 प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 673 का नक्शा, प्रदर्श-8 प्रमाणित प्रति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019, प्रदर्श-9 लीगल नोटिस दिनांक 18.01.2022, प्रदर्श 10 ता 12 डाक रसीदे, प्रदर्श 13 ता 15 ए. डी. प्राप्ति रसीद पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी, वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 569 570 571, के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि के उत्तरी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 572 व 573 है तथा वादीगण ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.11.2019 को कराया था तब पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की भूमि 9 एयर पर अनाधिकृत कब्जा व अतिक्रमण कर पक्का डण्डा कर लिया जिससे उक्त अतिक्रमण को हटाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगाणेश)

में जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकोर्ड में निजी खातेदारी भूमि में दर्ज भूमि पर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर नहीं की जाती है उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। उक्त अतिक्रमण/कब्जा हटाने सम्बन्धी कार्यवाही तहसीलदार स्तर से की जाती है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश को बिना चुनौती दिये वाद चलने योग्य नहीं है एवं वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण ने प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1, पी. डब्ल्यू-2 एवं पी. डब्ल्यू-3 एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 से 15 के द्वारा यह साबित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 569, 570, 571 वादीगण की खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि के उत्तरी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 572 व 573 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि थी जो वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019 प्रदर्श-8 के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को दायरी दावे से पूर्व नोटिस भिजवाकर उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत सूचित किया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019 प्रदर्श-8 से भी साबित है कि वादीगण की भूमि के सीमाज्ञान किया गया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के गवाहान से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जिरह की गयी है उसमें भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि वादीगण के वाद को गलत ठहराया जा सकता हो. बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर स्तर पर नहीं किये जाने तथा तहसील स्तर से किये जाने के जवाब दावा में कथन किये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा एवं कोई साक्ष्य व दस्तावेज वादीगण के वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत मानने का कोई कारण नहीं है। वादीगण ने वाद पत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे व अतिक्रमण को हटाया जाकर व बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार उक्त तनकी को साबित किया है जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या दो:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गयी है जिससे वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।


तनकी संख्या तीन:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई मौखिक व

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं वादीगण की भूमि के उत्तरी दिशा में उक्त भूमि खसरा नम्बर 572 व 573 के राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण का नाम अंकित होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 2 में 3 के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या चार:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा वाद पत्र में वर्णितानुसार वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ है एवं तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गयी है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या पांच:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा वादीगण ने उक्त वाद अपनी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अवैध अतिक्रमण को हटाने व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है एवं भू-उपयोग परिवर्तन के किसी आदेश को उक्त जिससे उक्त आदेश को चुनौती देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।



अनुतोष:- उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 3 व 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की गयी है। जिसके अनुसार वाद पत्र में वर्णित अनुतोष वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी है, ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादीगण का वाद, वाद पत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 589 570, 571 वाके ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि में उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण/कब्जे को हटाया जाकर व बेदखल किया जाकर वादीगण को भूमि का वास्तविक कब्जा संभलाया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
(मुहीपल सिंह)  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर।

**अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई**  
(ओ. 20 रूल 6-7 जात्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर मुकाम जयपुर व  
इजलास महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 97 / 2022

1. गंगा देवी पत्नी गोपाल

2. बादाम देवी पत्नी नानगराम

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति उषा जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, निवासी 28, प्रहलाद कॉलोनी, हनुमान  
ट्यूबवैल के पीछे, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मोती झूंगरी रोड, जयपुर।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मोती झूंगरी रोड, जयपुर।

तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण



वाद पत्र बाबत वेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु उपखण्ड अधिकारी,  
जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादीगण मिन जानिव मुदई रूवरु मिन  
जानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः  
वादीगण का वाद, वाद पत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित वादीगण की भूमि खसरा  
नम्बर 589 570, 571 वाके ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल,  
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध  
में डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि में उत्तर दिशा की  
ओर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण/कब्जे को हटाया  
जाकर व वेदखल किया जाकर वादीगण को भूमि का वास्तविक कब्जा संभलाया  
जावें।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.02.2024 को  
जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहदार द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वहसबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	00
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					



इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)